संचिका सं0–14/अनु0–01–05/2012 का0............

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन।**

सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के निमित्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अनुदेश पत्र संख्या–10167 दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–8 के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियोजन वेतनमान–PB-1, 5200–20200, ग्रेड वेतन–1800/1900 तक समूह–'ग' के सभी प्रकार के पदों पर तथा समूह–'घ' के अधिकतम 1800 ग्रेड वेतन तक के सभी प्रकार के पदों पर की जा सकती है और अनुदेश की कंडिका–12(i) के अनुसार इस प्रकार के नियोजन की अनुशंसा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में पदस्थापित रहे कर्मियों के मामले में प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तथा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय से बाहर पदस्थापित रहे कर्मियों के मामले में सम्बद्ध उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा किये जाने का प्रावधान है। नियुक्ति, उस पद के सक्षम प्राधिकार द्वारा की जाती है, जिस पद के विरुद्ध अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

2. राज्य में आरक्षी के पद का वेतनमान–PB-1, 5200–20200, ग्रेड वेतन 2000 रुपया प्रति माह रहने के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियोजन की वर्तमान नीति के अनुसार आरक्षी के पद पर, नियोजन सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सन्दर्भ में विभिन्न जिलों एवं पुलिस संगठन की ओर से राज्य सरकार से बार–बार मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही थी।

3. अनुकम्पा के आधार पर आरक्षी के पद पर नियोजन के संदर्भ में उपर्युक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियोजन सम्बन्धी अनुदेश की सम्बद्ध कंडिका 8 एवं 12 में निम्नवत् संशोधन करने का विचार किया गया है :–

I. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक अन्य अनुकम्पा समिति गठित रहेगी।

समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक (मु0), झारखण्ड	– अध्यक्ष
2. अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस	– सदस्य
3. पुलिस उप महानिरिक्षक विशेष शाखा/ अपराध अनुसंधान विभाग	– सदस्य
4. पुलिस उप महानिरिक्षक, गृह रक्षा वाहिनी	– सदस्य
5. महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधि	– सदस्य

समिति का कार्यक्षेत्र

विभागीय पत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–12 के अनुरूप उपर्युक्त समिति निम्न स्थितियों में विचार कर नियुक्ति पदाधिकारी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकती है :–

(i) समिति यह देखेगी कि पुलिस/गृह रक्षा वाहिनी के सरकारी सेवक/ अग्निशमन कार्य में संलिप्त कर्मी की मृत्यु उग्रवादी/नक्सली गतिविधि या अन्य आकस्मिक कार्यों का सम्पादन करते समय कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु हुई है या इस दौरान घायल/गंभीर बिमारी से ग्रस्त होने के कारण या सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हुई है।

(ii) आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए नामित व्यक्ति मात्र पुलिस बल/गृह रक्षा वाहिनी/अग्निशमन, जिस बल मे मृतक कार्यरत था, नियुक्त होने की इच्छा रखता हो एवं आवश्यक अर्हताएं धारण करता हो।

(iii) अनुशंसा उसी संगठन के लिए अनुमान्य पदों यथा मात्र पुलिस/गृह रक्षा वाहिनी/अग्निशमन के कार्मिकों के रिक्त पद के विरूद्ध की जा सकती है, जिस बल में मृतक कार्यरत था।

(iv) उक्त संगठनों के अर्न्तगत आने वाले टंकक/लिपिक आदि के पद के विरूद्ध नियुक्ति की अनुशंसा पूर्ववत जिला अनुकम्पा समिति से प्राप्त किया जायेगा।

(v) यह अनुकम्पा समिति दुर्घटना के तुरंत बाद या कम से कम दुर्घटना के एक माह के अन्दर सम्यक्, विचारोपरान्त नियुक्ति अनुशंसा किया करेगी।

II. सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर **मात्र पुलिस के पद पर नियोजन के निमित्त ग्रेड–वेतन की अधिसीमा– 2000/– रखी जाय।**

III. मृत पुलिसकर्मियों के आश्रित जो पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक मापदण्ड नहीं रखते हैं, उन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु निर्गत अनुदेश पत्र संख्या–10167 दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–12 में यथा उल्लिखित केन्द्रीय/जिला अनुकम्पा समिति में विचार कर अनुकम्पा का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

विभागीय पत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका–8 एवं कंडिका–12 (i) इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

ह0/–
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/अनु0–01–05/2012 का॰– ..../रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं झारखण्ड विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/अनु0–01–05/2012 का॰– ..../रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/अनु0–01–05/2012 का॰– 7988/रांची, दिनांक 12.7.17

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

345